



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 मार्च 2020—फाल्गुन 13, शक 1941

वाणिज्यक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2020

क्र. एफ ए-3-13-2017-1-पाँच (11).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 4(2) सहपठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 109 ए के उपनियम (1) के खण्ड (क) तथा उपनियम (2) के खण्ड (क) तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पाँच (01), दिनांक 14 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को कॉलम (3) में उल्लिखित उनके पदनाम के साथ, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र (क्षेत्रीय अधिकारिता) के लिए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है, सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 109ए के उपनियम (1) के खण्ड (क) तथा उपनियम (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित अपीलीय प्राधिकारी की समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त या अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	राज्य कर विशेष आयुक्त (अपील)की क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री नीलम सिंह मरावी	राज्य कर विशेष आयुक्त, कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इन्दौर पिन- 452001, मोती बंगला कम्पाउण्ड	परिक्षेत्र इन्दौर -1 परिक्षेत्र इन्दौर -2 परिक्षेत्र भोपाल परिक्षेत्र ग्वालियर परिक्षेत्र जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2020

क्र. एफ ए-3-13-2017-1-पाँच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय के अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पाँच (11), दिनांक 3 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd March 2020

No.F A-3-13-2017-1-V(11).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with clause (a) of sub-rule (1) and clause (a) of sub-rule(2) of Rule 109A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 and in pursuance of this department's notification No. F A 3-13-2017-I-V (01), DATED 14th January 2020, the State Government, hereby, appoints the officer mentioned in column (2) of the Table below with his designation mentioned in column (3), thereof as appellate authority for the area (territorial jurisdiction) specified in column (4). The officer mentioned in column (2) of the Table shall exercise all the powers and perform all the duties conferred or imposed on the Appellate Authority mentioned in clause (a) of sub-rule (1) and clause (a) of sub-rule (2) of rule 109A of the Madhya Pradesh Goods and Servives Tax Rules, 2017, namely:—

Table

S. No.	Name of officers	Designation and present posting of the Officer	Territorial jurisdiction Area of Special Commissioner (Appeals) of State Tax
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Neelam Singh Maravi	Special Commissioner of State Tax, Office of the Commissioner Commercial Tax, Madhya Pradesh, Indore Pin - 452001, Moti bunglow compound	Zone Indore-1 Zone Indore-2 Zone Bhopal Zone Gwalior Zone Jabalpur

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.